मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१९

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१९

विषय-सूची.

खण्ड :-

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा १२ का संशोधन.

३. धारा १७ का संशोधन.

४. धारा २० का संशोधन.

५. धारा २३ का संशोधन.

६. धारा २५ का संशोधन.

७. धारा २७ का संशोधन.

८. धारा ३० का संशोधन.

९. धारा ३२ का संशोधन.

१०. धारा ३४ का संशोधन.

११. धारा ३८ का संशोधन.

१२. धारा ४९-क का संशोधन.

१३. धारा १२५ का संशोधन.

१४. धारा १२६ का संशोधन.

१५. धारा १२७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१९

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा १२ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १२ में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तुक यह भी कि यदि ग्राम पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो वार्डों का परिसीमन प्रभावी नहीं होगा.".

धारा १७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(७) यदि कोई सरपंच या उपसरपंच या पंच, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच या पंच के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि ऐसा व्यक्ति शपथ लेता है या ऐसे अन्य पद का प्रभार ग्रहण करता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे पूर्ववर्ती पद में धारा ३८ के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति हो गई है.".

धारा २० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "३० दिन" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "१५ दिन" स्थापित किए जाएं.

धारा २३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३ में, उपधारा (१) में, विद्यमान द्वितीय परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि यदि जनपद पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन प्रभावी नहीं होगा.".

धारा २५ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २५ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(५) यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि ऐसा व्यक्ति शपथ लेता है या ऐसे अन्य पद का प्रभार ग्रहण करता है और यह समझा जाएगा कि धारा ३८ के प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्ववर्ती पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है.".